



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236864
CG-DL-E-28062022-236864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944

No. 327]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(10). —जबकि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय भागीरथी भवन (टॉप टैरेस), भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल-249124 है, ने पारेषण योजना “टीएचडीसीआईएल के खुर्जा एसटीपीपी (2X660 मेगावाट) से 528 मेगावाट बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division/172 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा पारेषण योजना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत “टीएचडीसीआईएल के खुर्जा एसटीपीपी (2X660 मेगावाट) से 528 मेगावाट बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 27.08.2021 (राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया) के स्थानीय अखबारों एवं शुद्धि-पत्र दिनांक-09.09.21 (राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला) तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 18.09.2021 से 24.09.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके

पश्चात्, मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 03.01.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत “टीएचडीसीआईएल के खुर्जा एसटीपीपी (2X660 मेगावाट) से 528 मेगावाट बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. टीएचडीसीआईएल के खुर्जा एसटीपीपी (2X660 मेगावाट) बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश- अलीगढ़ (765/400 के.वी. आईएसटीएस सब-स्टेशन) 400 के.वी. डबल सर्किट लाइन।

इस योजना के अंतर्गत आने वाली पारेषण लाईन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित गांवों, कस्बों एवं शहरों से होकर, के उपर से, के आसपास से एवं के बीच से होकर गुजरेगी:—

राज्य: उत्तर प्रदेश

गाँवों का नाम	तहसील	जिला
कीलपुर, लोहलारी, फतहपुर, राजपुर, चमर नगला, गणेशपुर	खैर	अलीगढ़
उमारी, नगला बंजारा, नगला जैत, नगला बादाम, नगला पदम, नगला सिद्धनगर, इलमपुर, जरारा, सूरजपुर, ताजपुर, ज्ञानपुर, भगतपुर, भोजपुर, भोगपुर	गभाना	अलीगढ़
कहरोला, अर्निया खुर्द, रूकनपुर, नईफल उर्फ उचागाँव, घटल, जहानपुर, रसूलपुर	खुर्जा	बुलंदशहर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है—

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

(vi) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./145/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2022

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(10). —whereas M/s THDC India Ltd, the applicant with its registered office at Bhagirathi Bhawan (Top Terrace), Bhagirathipuram, Tehri Garhwal-249124, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of 528 MW of power from Khurja STPP (2X660 MW) of THDCIL”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2020-PSPA-I Division/172 dated 01.07.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s THDC India Ltd for the overhead lines covered under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of 528 MW of power from Khurja STPP (2X660 MW) of THDCIL”.

M/s THDC India Ltd has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 27.08.2021 (Rashtriya Sahara, Amar Ujala & The Times of India), corrigendum thereon dated 09.09.2021(Rashtriya Sahara & Amar Ujala) and in Weekly Gazette of India dated 18.09.2021 to 24.09.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s THDC India Ltd has submitted an affidavit dated 03.01.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of 528 MW of power from Khurja STPP (2X660 MW) of THDCIL”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Khurja STPP (2x660 MW) of THDCIL in Bulandshahar, U.P–Aligarh (765/400kV ISTS sub-station) 400 kV D/c line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Uttar Pradesh:

State: — Uttar Pradesh

Name of villages	Tehsil	District
KEELPUR, LOHLARI, FATEHPUR, RAJPUR, CHAMAR NAGLA, GANESHPUR	Khair	Aligarh
UMARI, NAGLA BANJARA, NAGLA JAIT, NAGLA BADAM, NAGLA PADAM, NAGLA SIDHNAGAR, ELAMPUR, JARARA, SURAJPUR, TAJPUR, GAIYANPUR, BHAGATPUR, BHOJPUR, BHOGPUR	Gabhana	Aligarh
KAHROLA, ARNIA KHURD, RUKANPUR, NAIPHAL URF UCHANAGAON, GHATAL, JAHANPUR, RASOOLPUR	Khurja	Bulandshahr

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s THDC India Ltd for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years.

- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s THDC India Ltd shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./145/2022-23]